इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2012—श्रावण 8, शक 1934

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्र. एफ 22-142-2004-आठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का क्रमांक 59) की धारा 67 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुये, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-142-2008-आठ, दिनांक 12 अगस्त, 2010 में आंशिक संशोधन कर, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को प्रक्रम वाहनों का यात्री भाड़ा दिनांक 1 अगस्त, 2012 से निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्देश देता है:—

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा अधिकतम प्रभार्य यात्री भाड़ा (नगर वाहनों को छोड़कर)

(1)	सामान्य प्रक्रम वाहन	रुपये 5.00 प्रति यात्री प्रथम 5 किलोमीटर तक के लिए तत्पश्चात् रुपये 0.75 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिये.

(2) उपरोक्त निर्देश (1) के अधीन यात्री भाड़ा में निम्नानुसार अधिकतम वृद्धि की जा सकेगी:—

(क)	रात्रि बस सेवा के लिये	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक.
(ख)	डीलक्स वाहन (नॉन ए.सी.)	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 25 प्रतिशत अधिक.
(ग)	डीलक्स ए.सी. प्रक्रम वाहन	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 50 प्रतिशत अधिक.

नोट.—(1) रात्रि बस सेवा शुल्क मात्र सामान्य प्रक्रम वाहन सेवा पर लागू होगा, न कि डीलक्स या ए.सी. बस सेवा पर.

(2) डीलक्स व ए.सी. वाहनों के अलावा एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा.

No. F 22-142-2004-VIII.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 67 the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) sub-section (1) therein as a partial modification to the Department's Notification No. F 22-142-2008-VIII, dated 12th August, 2010, the State Government hereby issue the following directions to the State Transport Authority and all Regional Transport Authorities regarding fixing of passenger fares of State carriages, from 1st August, 2012:—

DIRECTIONS

Maximum Passenger Fares chargeable by State carriages (Excluding City Bus):—

(1)	General State carriages	Rs. 5.00 per passenger up to 5 K.M. and thereafter Rs. 0.75 per passenger per K.M. or part thereof.

(2) As per instruction (1) above, Fares calculated may be increased to a maximum as follows:—

(a)	Night Bus Services	10% more than the fare of general State carriages.
(b)	Deluxe Bus (Non A.C.)	25% more than the fare of general State carriages.
(c)	Deluxe Bus (A.C.)	50% more than the fare of general State carriages.

Note.—(1) Extra Night charge will not be chargeable on Deluxe or on AC bus fares.

(2) No extra charge would be permitted for express service, unless it is also a Deluxe or AC bus.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.